

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन  
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 26/2025  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/38

| प्रार्थी  | बनाम | अप्रार्थी  |
|---|------|--|
| शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक<br>(अभियोजन), जिला रसद<br>कार्यालय, डीडवाना-कुचामन। |      | श्री जय सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, मैसर्स<br>गणगौर होटल, लाडनूं। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपटित  
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में  
जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपरिस्थित:-


1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री ओमेन्द्र कुमार।
2. अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री जयवीर सिंह।

—:आदेश:—

दिनांक : 17.03.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध धारा  
6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में  
निम्न प्रकार है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1)  
खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध  
भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 19.02.2025 को  
श्री ओमेन्द्र कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, कुचामन द्वारा मैसर्स गणगौर होटल, लाडनूं पर  
आकस्मिक जाँच हेतु पहुंचे। मौके पर श्री जय सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी लाडनूं  
उपस्थित मिलें, जिन्होंने स्वयं को प्रबन्धक होना बताया। श्री जय सिंह द्वारा होटल  
का निरीक्षण करवाया। परिसर की तलाशी लेने पर 01 घरेलू गैस के सिलेण्डर मौके  
पर पाये गये। 01 गैस सिलेण्डर भट्टी/चुल्हे/बर्नर/वासुरी मोटर से गैस पाईप  
लाईन के जरिये जुड़े पाया गया। 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाया  
गया। मौके पर पाया गया सिलेण्डर, जो इण्डेन कम्पनी का है। श्री जय सिंह से  
घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के  
दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पुछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण  
व व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व  
अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री जय सिंह द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक  
दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये गए घरेलू

  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन



रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये।  
जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | नाम कम्पनी | एस.आर.नं. | भरे सिलेण्डर का वजन | खाली सिलेण्डर का वजन | शुद्ध गैस (कॉलम 4-5) |
|---------|------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1       | इण्डेन     | 256729    | 25.900              | 15.8 किग्रा          | 10.10 किग्रा         |

उपरोक्त 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर श्री रामगोपाल जाट प्रतिनिधि भारत गैस एजेन्सी लाडनू के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिये गये।

इस प्रकार श्री जय सिंह पुत्र भंवर सिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री जयवीर सिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संयुक्त परिवार में रहता है एवं उक्त पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त सिलेण्डर विधि पूर्वक नियमों व निर्देश के अनुसार गैस एजेन्सी द्वारा प्राप्त किये गये है। जिसके संबंधमें प्रार्थी के स्वयं की गैस डायरी घरेलू गैस कनेक्शन नं0 04235 उपलब्ध है। जिसके माध्यम से उक्त गैस सिलेण्डर लिया गया था। उक्त डायरी के अनुसार उक्त सिलेण्डर घरेलू उपयोग हेतु लिये गये थे एवं उक्त सिलेण्डर का उपयोग भी घरेलू रूप में किया जा रहा था। अप्रार्थी व उसका संयुक्त परिवार संयुक्त रूप से निवास करता है। जिससे यह कहीं पर भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त सिलेण्डर का उपयोग उपभोग अप्रार्थी अन्य प्रयोजन से कर रहा था। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त जब्त सुदा सिलेण्डर को सुपुर्द करने तथा जुर्माना राशि माफ करने का आदेश फरमावें।

वहस सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री जय सिंह पुत्र भंवर सिंह द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 01 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को भारत गैस एजेन्सी लाडनू के प्रतिनिधि श्री रामगोपाल जाट को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय

श्री जय सिंह पुत्र भंवर सिंह के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं  
जिला कलक्टर  
डाडवाना-कुचामन




होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दरतावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञाप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञाप्ति रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जवसुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(पुखराज सेन, IAS)  
जिला कलेक्टर  
डीडवाना-कुचामन